

**कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड पन्ना, म0प्र0**  
**संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 24/13-14 दिनांक 27-8-2013**

**संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना**


मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से पन्ना जिले में स्थापित जिला एवं उपखंडीय प्रयोगशाला में लगने वाले आवश्यक उपकरण/रसायन प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं एवं अधिकृत विक्रेताओं से शिड्यूल आफ क्वान्टिटी के अनुसार प्रपत्र-‘सी’ पर मुहरबंद निविदाएं दिनांक 12-09-2013 को अपराह्न 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित की जाएगी, जो उसी दिन 3.30 बजे अपराह्न निर्माताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 11-9-2013 तक कार्यालयीन समय में निविदा शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

गुप क्र.	विवरण	मात्रा	ठेके की राशि (रु. लाख में)	प्रतिभूति राशि (रु. में)	निविदा की कीमत (रु. में)	समयावधि
गुप "अ"	जिला प्रयोगशाला पन्ना में उपकरण एवं रसायन का प्रदाय	संलग्न शिड्यूल अनुसार	3.30	6600.00	2000.00	15 दिवस
गुप "ब"	उपखंडीय प्रयोगशाला पवई में उपकरण एवं रसायन का प्रदाय	संलग्न शिड्यूल अनुसार	3.30	6600.00	2000.00	15 दिवस

**निबंधन एवं शर्तें :-**


1. यह केवल संक्षिप्त निविदा सूचना है एवं विस्तृत निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें बंधनकारक होगी। निविदा में कार्य का विस्तृत विवरण का अवलोकन कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आकर किया जा सकता है।
2. कोरे निविदा फार्म उन्ही फर्मों को प्रदाय किये जावेंगे जिन्होंने निविदा में वॉछित सामग्री अथवा समकक्ष सामग्री अन्यत्र प्रदाय की हो, कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. धरोहर राशि एफ0डी0आर0 के रूप में, जो कि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, पन्ना के नाम से हो, निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. भण्डार क्रय नियमों में किये गये प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों/विक्रेताओं उत्पादको से न्यूनतम 30 प्रतिशत क्रयादेश जारी किये जावेंगे।
5. निविदा डाक से प्राप्त करने हेतु निविदा मूल्य के अतिरिक्त रु. 100.00 देना होगा, डाक द्वारा निविदा विलंब से प्राप्त होने या गुम हो जाने के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।सक्षम अधिकारी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। सशर्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी।
6. कार्य संतोषप्रद होने एवं आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जावेगा।
7. निविदा 120 दिन तक वैध रहेगी।
8. निविदा की अन्य विस्तृत शर्तें एवं जानकारी किसी भी कार्य दिवस में (अवकाश के दिन को छोड़कर) कार्यालयीन समय में देखी जा सकती हैं।

9. निविदा प्रपत्र क्रय हेतु आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा अन्यथा कोरे निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किये जावेंगे।  
(I) निविदाकार आयकर विभाग में परमानेन्ट लेखा नंबर (PAN) तथा म.प्र.वाणिज्यकर एवं केन्द्रीय विक्रय कर कार्यालय में पंजीयन (TIN) के पत्र। तथा चालू वाणिज्यकर चुकारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(II) निविदाकार को उल्लेखित सामग्री प्रदाय हेतु निर्माता या अधिकृत विक्रेता होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा प्रपत्र नहीं दिया जावेगा।  
(III) निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण-पत्र जो कार्यपालन यंत्री स्तर के शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारी द्वारा जारी हो, प्रस्तुत करना होगा।
10. सामग्री विभाग के संबंधित प्रयोगशला में प्रदाय करना होगी। सामग्री परिवहन हेतु पृथक से भुगतान देय नहीं होगा।
11. निर्गमन प्रमाण पत्र पर कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जा सकेगा। 100 प्रतिशत भुगतान सामग्री आदेश के अनुसार अच्छी हालत में प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा।
12. निविदा में सामग्री के निर्माता का नाम, तथा प्रतिनग से दर दिये जावे। विभिन्न देय टेक्स और उनकी दरे भी कृपया अपने आफर में स्पष्ट करें। टेक्स अंकीत न होने पर दरों में टेक्स सम्मिलित मानकर देयक से नियमानुसार टेक्स वसूला जावेगा।
13. विस्तृत निविदा सूचना का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट WWW.mpphed.gov.in पर देखी जा सकती है।

  
कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड  
पन्ना, म0प्र0

पृ.क. / 3056 / व.ले.लि / का.यं. / लो.स्वा.यां.खं. / 2013 पन्ना, दिनांक : 27.8.13  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख अभियंता, लोक स्वा.या.विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वा.या.विभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर
3. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वा.या.विभाग, सागर मण्डल सागर ।
4. कलेक्टर, पन्ना (म.प्र.)
5. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड छतरपुर/टीकमगढ/सागर/दमोह
6. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग पन्ना / छतरपुर/टीकमगढ/सागर /दमोह
7. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग पन्ना / छतरपुर/टीकमगढ/ सागर/दमोह
8. सहायक यंत्री, लोक स्वा.या. उपखंड, पन्ना/पवई की ओर सूचनार्थ ।
9. एन.आई.सी. पन्ना ।
10. सहायक संचालक, जन सम्पर्क पन्ना ।
11. तकनीकी कक्ष खंड कार्यालय की ओर सूचनार्थ ।
12. नोटिस बोर्ड खंड कार्यालय पन्ना ।

  
कार्यपालन यंत्री  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड  
पन्ना, म0प्र0